**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2061**

**सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संभाव्‍यता का आकलन**

**2061. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या सरकार ने देश में, विशेष रुप से ऊर्जा की कमी वाले राज्‍यों में, नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संभाव्‍यता का व्‍यापक स्‍तर पर आकलन कराया है ;
2. यदि हां, तो इसका स्रोत-वार ब्‍यौरा क्‍या है और देश में उत्‍पादित कुल बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना है ; और
3. क्‍या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ बुंदेलखंड और विदर्भ क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण कराया है ;
4. सरकार इन क्षेत्रों में गैर-परम्‍परागत ऊर्जा का उत्‍पादन किस प्रकार करने तथा उसे किस प्रकार बढ़ावा देने का विचार रखती है ; और
5. उक्‍त क्षेत्रों में क्‍या-क्‍या प्रोत्‍साहन दिए जा रहे हैं ?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

1. , (ख) और (ग) : पूर्व में कराए गए विभिन्‍न अध्‍ययनों के अनुसार देश में विभिन्‍न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से लगभग 2,45,000 मेगावाट विद्युत उत्‍पादन की संभाव्‍यता अनुमानित की गई है । इसमें पवन तथा सौर ऊर्जा प्रत्‍येक से 1,00,000 मेगावाट से अधिक, लघु पनबिजली से 20,000 मेगावाट और बायो ऊर्जा स्रोतों से शेष 25,000 मेगावाट की संभाव्‍यता शामिल है । बुंदेलखंड और विदर्भ क्षेत्र सहित विभिन्‍न राज्‍यों/क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की संभाव्‍यता संसाधन, क्षेत्र और स्‍थानीय परिस्‍थितियों पर निर्भर करती है जो व्‍यापक रूप से भिन्‍न होती है ।

अनुमानित संभाव्‍यता का राज्‍य-वार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-। पर दिया गया है । वर्ष 2013-14 के दौरान, देश में उत्‍पादित कुल विद्युत में अक्षय ऊर्जा का योगदान 53.22 बिलियन यूनिट था ।

(घ) और (ड.) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बुंदेलखंड और विदर्भ क्षेत्र सहित देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कई राजकोषीय प्रोत्‍साहन जैसे- उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन, त्‍वरित मूल्‍यह्रास, रियायती उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क के लाभ दिए जा रहे हैं । वित्‍तीय और राजकोषीय प्रोत्‍साहन प्रदान करने के अतिरिक्‍त, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के कुछ अन्‍य उपायों में प्रदर्शन परियोजनाओं की स्‍थापना करना, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्‍पादित विद्युत की खरीद के लिए अधिमान्‍य शुल्‍क दर, गहन संसाधन मूल्‍यांकन, विद्युत निष्‍क्रमण एवं परीक्षण सुविधाओं का विकास, अक्षय ऊर्जा प्रमाणन और अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्‍यता आदि शामिल हैं।

 भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्‍था, जो इस मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, द्वारा भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं ।

 देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्‍पादन के लिए केंद्रीय वित्‍तीय सहायता/सब्‍सिडी के रूप में दिए जा रहे प्रोत्‍साहनों का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक -।। में दिया गया है ।

**vuqyXud&A**

**\*uohdj.kh; ÅtkZ laca/kh laHkkO;rk dk vkdyu\* ds laca/k esa iwNs x, fnukad 28-07-2014 ds jkT; lHkk ds vrkjkafdr iz”u la- 2061 ds Hkkx ¼d½ vkSj ¼[k½ ds mRrj esa mfYyf[kr vuqyXud&A**

**ns”k esa v{k; fo|qr dh vuqekfur laHkkO;rk dk jkT;&okj vkSj lzksr&okj C;ksjs**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ck;ks ÅtkZ**  |  |
| **dze la-** | **jkT;@la?k jkT; {ks=** | **iou fo|qr** | **y?kq iufctyh** | **ck;ksekl& fo|qr** | **[kksbZ lg&mRiknu** | **vif”k’V ls ÅtkZ**  | **dqy**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **{kerk esxkokV esa** |  |
| 1 | vka/kz izns”k | 14497 | 978 | 578 | 300 | 123 | 16476 |
| 2 | v:.kkpy izns”k | 236 | 1341 | 8 |   |   | 1586 |
| 3 | vle | 112 | 239 | 212 |   | 8 | 570 |
| 4 | fcgkj | 144 | 223 | 619 | 300 | 73 | 1359 |
| 5 | NRrhlx<+ | 314 | 1107 | 236 |   | 24 | 1681 |
| 6 | xksok |   | 7 | 26 |   |   | 32 |
| 7 | xqtjkr | 35071 | 202 | 1221 | 350 | 112 | 36956 |
| 8 | gfj;k.kk | 93 | 110 | 1333 | 350 | 24 | 1910 |
| 9 | fgekpy izns”k | 64 | 2398 | 142 |   | 2 | 2606 |
| 10 | tEew ,oa d”ehj | 5685 | 1431 | 43 |   |   | 7158 |
| 11 | >kj[kaM | 91 | 209 | 90 |   | 10 | 400 |
| 12 | dukZVd | 13593 | 4141 | 1131 | 450 |   | 19315 |
| 13 | dsjy | 837 | 704 | 1044 |   | 36 | 2622 |
| 14 | Ek/; izns”k | 2931 | 820 | 1364 |   | 78 | 5193 |
| 15 | Ekgkjk’Vª | 5961 | 794 | 1887 | 1250 | 287 | 10180 |
| 16 | Ekf.kiqj | 56 | 109 | 13 |   | 2 | 181 |
| 17 | Eks?kky; | 82 | 230 | 11 |   | 2 | 325 |
| 18 | fetksje |   | 169 | 1 |   | 2 | 171 |
| 19 | ukxkySaM | 16 | 197 | 10 |   |   | 223 |
| 20 | vksfM”kk | 1384 | 295 | 246 |   | 22 | 1948 |
| 21 | iatkc |   | 441 | 3172 | 300 | 45 | 3958 |
| 22 | jktLFkku | 5050 | 57 | 1039 |   | 62 | 6208 |
| 23 | flfDde | 98 | 267 | 2 |   |   | 367 |
| 24 | rfeyukMq | 14152 | 660 | 1070 | 450 | 151 | 16482 |
| 25 | f=iqjk |   | 47 | 3 |   | 2 | 51 |
| 26 | mRrj izns”k | 1260 | 461 | 1617 | 1250 | 176 | 4763 |
| 27 | mRrjk[kaM | 534 | 1708 | 24 |   | 5 | 2271 |
| 28 | if”pe caxky | 22 | 396 | 396 |   | 148 | 962 |
| 29 | vaMeku ,oa fudksckj | 365 | 8 |   |   |   | 373 |
| 30 | paMhx<+ |   |   |   |   | 6 | 6 |
| 31 | nknjk ,oa ukxj gosyh |   |   |   |   |   | 0 |
| 32 | neu ,oa nho | 4 |   |   |   |   | 4 |
| 33 | fnYyh |   |   |   |   | 131 | 131 |
| 34 | y{k}hi |   |   |   |   |   | 0 |
| 35 | iqMqpsjh  | 120 |   |   |   | 3 | 123 |
|  | vU; |   |   |   |   | 1022 | 1022 |
| **dqy** | **102772** | **19749** | **17536** | **5000** | **2554** | **147612** |
| lkSj fo|qr dh laHkkO;rk ¼100 th MCY;w½ 30&50 esxkokV@ oxZ ls-eh- [kqys Nk;k jfgr {ks= ij vuqekfur dh xbZ gS A |

**अनुलग्‍नक -।।**

**नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संभाव्‍यता का आकलन के संबंध में पूछे गए दिनांक 28 जुलाई, 2014 के राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2061 के भाग (घ) और (ड.) के उत्‍त्‍ार में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक-।।**

**विभिन्‍न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत उपलब्‍ध प्रोत्‍साहन/सब्‍सिडी**

1. **ग्रिड-इंटरएक्‍टिव अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम:**
2. **पवन विद्युत परियोजनाएं:**

|  |  |
| --- | --- |
| **उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन (जीबीआई)** | **0.50 रू. प्रति यूनिट जो अधिकतम** **1.00 करोड़ रू./मेगावाट के अध्‍यधीन है** |

**प्रदर्शन परियोजनाएं**

|  |  |
| --- | --- |
| **विशेष श्रेणी के राज्‍य** **(पूर्वोत्‍तर क्षेत्र, सिक्‍किम, जम्‍मू और कश्‍मीर,हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड)** | **3.00 करोड़ रू. ×(परियोजना की क्षमता मेगावाट में) ^0.646**  |
| * **अन्‍य राज्‍य**
 | **2.50 करोड़ रू. ×(परियोजना की क्षमता मेगावाट में) ^0.646** |
|  | **^: की घात के बराबर**  |

1. **सौर विद्युत परियोजना :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के चरण-।। के बैच-। के राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ ऊर्जा कोश से व्‍यवहार्यता अंतराल निधिकरण (वीजीएफ) सहायता के साथ कुल 750 मेगावाट की सौर पी वी विद्युत परियोजनाएं । | न्‍यूनतम परियोजना क्षमता 10 मेगावाट अधिकतम परियोजना क्षमता 50 मेगावाट | रिवर्स बिडिंग प्रिक्रिया के आधार पर 2.50 करोड़ रू./ मेगावाट तक सीमित करते हुए परियोजना लागत के 30 % तक की वीजीएफ सहायता।  |

1. **लघु पनबिजली परियोजनाएं :**

**राज्‍य क्षेत्र में नई एचएचपी परियोजनाओं को सहायता**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **श्रेणी** | **100 किलोवाट से अधिक और 1000 किलोवाट तक** | **1 मेगावाट से – 25 मेगावाट तक**  |
| विशेष श्रेणी और पूर्वोत्‍तर राज्‍य  | 50,000 रू/ किलोवाट | पहले मेगावाट के लिए 5.00 करोड़ रू. तथा प्रत्‍येक अतिरिक्‍त मेगावाट के लिए 50.00 लाख रू./मेगावाट  |
| अन्‍य राज्‍य  | 25,000 रू/ किलोवाट | पहले मेगावाट के लिए 2.50 करोड़ रू. तथा प्रत्‍येक अतिरिक्‍त मेगावाट के लिए 40.00 लाख रू./मेगावाट  |

**निजी/सहकारी/संयुक्‍त क्षेत्र में नई एसएचपी परियोजनाओं को सहायता**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **श्रेणी**  | **1000 किलोवाट तक** | **1 मेगावाट से – 25 मेगावाट तक** |
| विशेष श्रेणी और पूर्वोत्‍तर राज्‍य  | 20,000 रू/ किलोवाट | पहले मेगावाट के लिए 2.00 करोड़ रू. तथा प्रत्‍येक अतिरिक्‍त मेगावाट के लिए 30.00 लाख रू./मेगावाट  |
| अन्‍य राज्‍य | 12,000 रू/ किलोवाट | पहले मेगावाट के लिए 1.20 करोड़ रू. तथा प्रत्‍येक अतिरिक्‍त मेगावाट के लिए 20.00 लाख रू./मेगावाट  |

1. **बायोमास विद्युत परियोजना और खोई सह-उत्‍पादन परियोजनाएं**

**निजी/सहकारी/संयुक्‍त/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **विशेष श्रेणी और पूर्वोत्‍तर राज्‍य** | **अन्‍य राज्‍य**  |
| बायोमास विद्युत परियोजनाएं  | 25 लाख रू. प्रति मेगावाट \* | 20 लाख रू. **×(परियोजना की क्षमता मेगावाट में)** |
| खोई सह-उत्‍पादन | 18 लाख रू. प्रति मेगावाट \* | 15 लाख रू. **×(परियोजना की क्षमता मेगावाट में) 1.5 करोड़ रू./ परियोजना के कैप के साथ**  |
| **सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा खोई सह-उत्‍पादन परियोजनाएं** **40 बार और अधिक** **60 बार और अधिक****80 बार और अधिक** | 40 लाख रू.50 लाख रू.60 लाख रू.अतिरिक्‍त विद्युत की प्रति मेगावाट (प्रति परियोजना 6.00 करोड़ रू. की अधिकतम सहायता) | 40 लाख रू.50 लाख रू.60 लाख रू.अतिरिक्‍त विद्युत की प्रति मेगावाट (प्रति परियोजना 6.00 करोड़ रू. की अधिकतम सहायता) |

\*प्रति परियोजना 1.57 करोड़ रू. की अधिकतम सहायता

5. अपशिष्‍ट से ऊर्जा कार्यक्रम :

|  |  |
| --- | --- |
|  **अपशिष्‍ट के प्रकार**  | **केंद्रीय वित्‍तीय सहायता**  |
| नगरीय ठोस अपशिष्‍ट  | 2.00 करोड़ रू./मेगावाट, अधिकतम सहायता 10 करोड़ रू. / परियोजना’ |
| शहरी अपशिष्‍ट  | 2.00 करोड़ रू./मेगावाट, अधिकतम सहायता 5 करोड़ रू. / परियोजना’ |
| औद्योगिक अपशिष्‍ट  | 0.20 करोड़ रू.से 1.00 करोड़ रू. /मेगावाट, अधिकतम सहायता 5.00 करोड़ रू. / परियोजना’ |

**ख. ऑफ ग्रिड/ विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **कार्यक्रम**  | **सब्‍सिडी**  |
| 6. | **पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र** सिक्‍किम सहित पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के राज्‍य (असम के मैदानी भागों को छोड़कर)असम के मैदानी भाग जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र, दार्जिलिंग के सदर, कर्सियांग और कालिमपौंग सब डिविजन, सुन्‍दर वन, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति(जो उपर्युक्‍त क्षेत्रों में शामिल नहीं किए गए हैं) सभी अन्‍य  | प्रति संयंत्र 15000 रू. से 17000 रू. प्रति संयंत्र 10000 रू. से 11000 रूप्रति संयंत्र 7000 रू. से 11000 रूप्रति संयंत्र 5500 रू. से 9000 रू. |
| 7. | सौर ऊर्जा प्रणालियां (प्रकाशवोल्‍टीय/तापीय) | परियोजना लागत की 30 % सब्‍सिडी सौर लाइटों के लिए नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों तथा अन्‍य वाणिज्‍यिक बैंकों के माध्‍यम से 40 % सब्‍सिडी उपलब्‍ध है ।  |
| 8. | लघु एयरोजनरेटर तथा हाईब्रिड प्रणालियां | वाणिज्‍यिक तथा गैर-वाणिज्‍यिक लाभार्थियों के लिए क्रमश: 1.00 लाख रू. तथा 1.50 रू. प्रति मेगावाट पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के राज्‍यों, सिक्‍किम तथा जम्‍मू और कश्‍मीर में परियोजनाओं के लिए 2.25 लाख रू. प्रति किलोवाट की उच्‍चतर सहायता  |
| 9. | माइक्रोहाईडल संयंत्र/ पनचक्‍कियां | यांत्रिक अनुप्रयोगों के लिए रू. 0.35 लाख रू. /पनचक्‍की विद्युत अनुप्रयोगों के लिए 1.10 लाख रू. /पनचक्‍की |
| 10 | बायोमास गैसीफायरविशेष श्रेणी के राज्‍य (पूर्वोत्‍तर क्षेत्र, सिक्‍किम, जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड)अन्‍य राज्‍य  | 18000 रू./किलोवाट 15000 रू./किलोवाट  |

**.....**